राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(2)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 30.8.19

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों से विधिक कार्यों के अतिरिक्त विभाग के अन्य विभागीय कार्य भी सम्पादित कराये जा रहे है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.49(3)न्याय/82 दिनांक 27.04.1983, क्रमांक प.12(4)राज/वाद/93 दिनांक 22.11.1994 एवं क्रमांक प.12 (4)राज/वाद/93 दिनांक 29.10.1996 द्वारा निर्धारित किये गये है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। अतः सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त परिपत्रों में वर्णित कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के अनुसार ही अनुपालना सुनिश्चित करावें।

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों के पालन के समुचित स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे इनकों अपने कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान विधि सेवा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार समुचित स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराए।

संलग्नः–1. परिपत्र क्रमांक प.49(3)न्याय/82 दिनांक 27.04.1983
2. परिपत्र क्रमांक प.12(4)राज/वाद/93 दिनांक 22.11.1994
3. परिपत्र क्रमांक प.12 (4)राज/वाद/93 दिनांक 29.10.1996

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त
4. समस्त विभाग
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

30.8.19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : एफ 12(4) राज/वाद/93 जयपुर, दिनांक 29.10.1996

–: परिपत्र :–

राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को मद्देनजर रखते हुए वादकरण के अविलम्ब निस्तारण, सुचारु संचालन एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु सुझाव देने के लिए राज्य स्तर पर कुम्मट कमेटी का गठन किया गया था। कुम्मट कमेटी की रिपोर्ट को राज्य स्तर पर स्वीकार करके इन सुझावों के क्रियान्वयन (Implimentation) कार्य विधि विभाग को प्रदत्त किया था। विधि विभाग ने उक्त कमेटी की रिपोर्ट की पालना में विभिन्न विभागों में विधि प्रकोष्ठों का गठन कर वहां विधि सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन भी कर दिया है तथा विधि सेवा के अधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण परिपत्र दिनांक 22.11.94 द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण के यहाँ पद स्थापित उप विधि परामर्शी संबंधित प्रमुख सचिव/सचिवगण के सीधे पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में नहीं होने से विधिक प्रकरणों की तुरन्त प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है और उप विधि परामर्शियों को उपशासन सचिवों के अधीन रखकर उनके माध्यम से प्रकरणों को प्रस्तुत करवाया जा रहा है, जिससे न केवल वादकरण में अनावश्यक विलम्बर हो रहा है अपितु शासन सचिवों की वादकरण की अविलम्ब की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उप विधि परामर्शी का पद विधि सेवा का एक वरिष्ठ पद है और उप सचिव के पद के समकक्ष है इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी उन्हें उप सचिवों के अधीन रखना उचित नहीं है। साथ ही उप विधि परामर्शी प्रमुख सचिवों/सचिव/विभागाध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में नहीं रह सकने पर उन्हें अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

इस परिपत्र के जरिए समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहाँ पद स्थापित उप विधि परामर्शी को सीधे अपने पर्यवेक्षण नियंत्रण में रखे जिससे वे प्रतिदिन के वादकरण से व्यक्तिगत रूप से अवगत रखें। साथ ही समस्त उपविधि परामर्शीगण को पुनः निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त परिपत्र में निर्धारित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विभाग में प्रतिदिन प्राप्त विधिक प्रकरणों एवं समस्त वादकरण से प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को तुरन्त अवगत कराते रहें, जिससे वादकरण के शीघ्र निस्तारण में सुविधा हो तथा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही समयाविधि में संभव हो सके।

एम. एल. मेहता
मुख्य सचिव

1.
Serv

2.

Note :

(

Note :

3. I
1955, (
applies

परिशिष्ठ –4

विधि सेवा अधिकारियों के कार्य, दायित्व व अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिपत्र

राजस्थान सरकार

न्याय विभाग

क्रमांक एफ 49 (3) न्याय/82 जयपुर, दिनांक 27.04.83

–:: परिपत्र ::–

राज्य सरकार के विधिक कार्यो के सम्पादन निमित्त, विधि सुधार एवं विधि सेवा समिति, राजस्थान की सिफारिश के आधार पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया था। इस सेवा के अन्तर्गत निम्न पदों को सम्मिलित किया गया है–

(i) विधि सहायक
(ii) मुख्य विधि सहायक
(iii) सहायक विधि परामर्शी / सहायक विधि प्रारूपकार
(iv) उप विधि परामर्शी ।

राजस्थान विधि सेवा में सदस्यों से निम्न वर्णित कार्यो का सम्पादन ही अपेक्षित है:–

1. विधायी प्रारूपण सम्बन्धी कार्य ।

   (अधिनियमों, नियमों ,विनियमों एवं उप नियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन आदि के प्रारूप बनाना)

2. वैधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श सम्बन्धी कार्य ।

3. वादकरण सम्बन्धी कार्य।

   (i) नोटिस, याचिका दावे एवं जवाब दावे इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श।

   (ii) अपीलीय मामले एवं निर्णय आदि का परीक्षण एवं परामर्श एवं अन्य विभागीय विशिष्ट वैधिक कार्य ।

प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न विभाग/विभागाध्यक्ष उनके यहां पदस्थापित विधि सेवा के सदस्यो के कार्यक्षेत्र के बारे में इस विभाग में स्पष्टीकरण हेतु पत्र व्यवहार करते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि राजस्थान विधि सेवा के सदस्यों के कार्यो के बारे में मोटे रूप से स्पष्टीकरण किया जावे

अतः सबंधित विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि विधि सेवा के सदस्यो से उपरोक्त वर्णित वैधिक कार्य ही लिया जावे तथा इन्हें उपरोक्त कार्य सम्पादनार्थ समुचित लिपिकीय स्टाफ भी प्रदान किया जावे ताकि राज्य हित में उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग हो सके। वर्तमान में आपके विभाग में विधि सेवा के सदस्यों से किस प्रकार का कार्य करवाया जा रहा है कृपया इस विभाग को सूचित करने का श्रम करे।

Sd/-

उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

No. F. 12 (4) State/ Lit./93 Jaipur,Dated 22.11.94

CIRCULAR

Status, Duties, Responsibilities and powers of the officers of Legal Service posted in the Departments.

Object of Posting : The Officers of Legal Service are posted to assist the Administrative Secretaries and Heads of Department in dealing with legal and Para legal issues arising in day-to-day administration of the Department's and further to look after litigation and safeguard the interests of the State Government in cases pending in the various Courts.

1. **Status :** Officers of Legal Service will act Advisers of the Department in all legal matters including service matters, Departmental enquiries, drafting of Statues, Litigation and in all other legal and Para legal issues arising in day-to–day administration of the Department.

2. **Representative of the Law Department :**

(a) The Officers of legal Service will be directly subordinate to the Administrative Secretaries and Head of Department concerned. It will, however, be their duty to ensure that any irregularity or procedural defect which they have been able to detect should be brought to the notice of Administrative Secretaries/ Head of the Department and to suggest remedial measures to set them right and to check recurrence of such irregularities and defects.

(b) The officers of legal Service should identify the areas in which they have to take the steps essential to safeguard the interests of the Department in cases pending in various courts and further to see that the directions, if any, issued by the courts against the Department are complied within time. In cases of appeal /review / writ / petition / revision by the State against the judgement in question, the officers of Legal Service should also ensure that 'Necessary stay orders are obtained in time from the higher court by the OIC. If they feel that any statute or rule requires any revision or amendment they should submit their opinion to Administrative Secretaries /Head of the Department.

718

3. **Duties and responsibilities of the officers of Legal Service :** They will be responsible –

(i) To furnish advice in every Legal and Para legal issues arising in day-to- day administration of the Department and try to solve the issue at the preliminary stage to avoid unnecessary litigation.

(ii) To advise whether the department should contest/ not to contest the case and apprise the Administrative Secretaries/ Head's of the Department about the factual position of the case.

(iii) To clarify the stand of the Department with regard to necessary pleadings in the matter.

(iv) To examine and advise for filing / not filing further appeal / revision / review special appeal etc. and apprise the Administrative Secretaries / Head's of the Department about the factual and legal aspect of the matter.

(v) To see that after filing of appeal, review or revision against the judgement in question necessary steps for obtaining stay, if any in the matter have been taken by OIC.

(vi) To do any other work concerned with and related or incidental to the duties mentioned above.

Officers of Legal Service should be entrusted mainly with advisory and litigation work and they should not generally be appointed as officers-in- charge of the case.

Sd./-

Secretary to Government